समक्ष : एस.एस. सोढ़ी और एनसी जैन, जे.जे.

हरमीत जवंधा और अन्य,-याचिकाकर्ता।

बनाम

भारत संघ और अन्य-प्रतिवादी।

*सिविल रिट याचिका संख्या*1991 का 160.

31 जनवरी, 1991.

*पासपोर्ट अधिनियम, 1961—पासपोर्ट नियम,*I960—आरआई. 3, एसएच. 1, प्रविष्टि 4(ए)-पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन-क्षेत्रीय, पासपोर्ट अधिकारी, चंडीगढ़ को किया गया आवेदन-आवेदक आमतौर पर चंडीगढ़ में रहता है लेकिन देहरादून में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है-क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी* चंडीगढ़ के पास पीटीआईस्पोर्ट जारी करने का विशेष क्षेत्राधिकार है-मेरे तथ्य यह है कि आवेदक किसी अन्य क्षेत्राधिकार में अध्ययन करता है, उसे सामान्य रूप से वहां का निवासी नहीं बनाया जाएगा - शब्द, 'सामान्य रूप से निवास' जैसा कि आरएल में उपयोग किया गया है। 3(2)—का अर्थ—बताया गया।

*आयोजित,*जहां पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति और उनके माता-पिता चंडीगढ़ के स्थायी निवासी हैं, केवल यह तथ्य कि उन्हें किसी अन्य क्षेत्राधिकार के भीतर एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया है, उन्हें किसी अन्य क्षेत्राधिकार में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 3)

आयोजित, पासपोर्ट नियमों की अनुसूची 1 की प्रविष्टि 3 और प्रविष्टि 4 (ए) में कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान मामले में, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, चंडीगढ़ के पास याचिकाकर्ताओं को पासपोर्ट जारी करने के मामले में विशेष क्षेत्राधिकार था क्योंकि वे 'सामान्य रूप से निवास कर रहे थे' 'चंडीगढ़ में। (पैरा 4)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/221 के तहत याचिका, प्रार्थना करते हुए कि इस माननीय कोइर्ट रिले की कृपा हो: -

(1) (ए) उत्तरदाताओं को परमादेश या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश पर मुकदमा दायर करता है। पासपोर्ट जारी करने के लिए 11 जुलाई 1990 के आवेदनों के दूसरे सेट पर विचार करें।

(बी) याचिकाकर्ता को चंडीगढ़ से पासपोर्ट जारी करने के लिए प्रतिवादी नंबर 2 को निर्देश देने के लिए एक परमादेश रिट जारी करें;

(2) (®) किसी अन्य रिट, आदेश या निर्देश पर मुकदमा दायर कर सकता है, जिसे माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे;

(b) *अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट;*

(c) *उत्तरदाताओं को अग्रिम सूचना की आवश्यकता से मुक्ति;*

(d) *याचिकाकर्ता को इस याचिका की लागत का पुरस्कार दें।*

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एस बेदी, निर्मलजीत कौर, अधिवक्ता के साथ।

प्रतिवादियों की ओर से अशोक सिंह चौधरी अधिवक्ता।

प्रलय

एसएस सोढ़ी, जे.

(1) यहां मामला नाबालिग याचिकाकर्ताओं-हरमीत जोवांडा और जसमीत जोवांडा को पासपोर्ट जारी करने से संबंधित है और यह एक बंद दिमाग का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रदान करता है जो संबंधित अधिकारियों द्वारा इससे निपटने के तरीके से पूरी तरह से अनुचित उत्पीड़न और देरी का कारण बनता है।

(2)याचिकाकर्ता- हरमीत जोवांडा और जसमीत जोवांडा- और उनके माता-पिता भी चंडीगढ़ के स्थायी निवासी हैं। 22 जुलाई, 1988 को ही याचिकाकर्ताओं ने पासपोर्ट जारी करने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, चंडीगढ़ को आवेदन किया था। उनके आवेदन क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, चंडीगढ़ द्वारा बरेली में अपने काउंटर को इस आधार पर भेज दिए गए थे कि वे देहरा डिम के निवासी थे। संभवतः क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, चंडीगढ़ ने ऐसा मान लिया था कि वे देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे थे; वेल्हेम गर्ल्स स्कूल, डेरा दून।

(3) पासपोर्ट के प्रासंगिक प्रावधानों, अधिनियम, 71 और उसके तहत बनाए गए नियमों के संदर्भ में यह दर्शाया जाएगा कि पासपोर्ट जारी करने का क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी का अधिकार क्षेत्र सामान्य रूप से उन क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए आवेदनों तक फैला हुआ है, जिन पर उसका अधिकार क्षेत्र है। वर्तमान जैसे मामले में, जहां याचिकाकर्ता और उनके माता-पिता चंडीगढ़ के स्थायी निवासी हैं, केवल यह तथ्य कि उन्हें किसी अन्य अधिकार क्षेत्र के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया है, उन्हें 'सामान्य रूप से रहने वाले' व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वह अन्य क्षेत्राधिकार. यहां पासपोर्ट नियमों के नियम-3 के प्रावधानों को पुन: प्रस्तुत करना उचित होगा। वे इस प्रकार पढ़ते हैं:-

"पासपोर्ट प्राधिकारी.—(1) केंद्र सरकार के अलावा, अनुसूची 1 के कॉलम (2) में निर्दिष्ट अधिकारी, उप-नियम (2) के प्रावधानों के अधीन, अधिनियम के सभी उद्देश्यों के लिए पासपोर्ट प्राधिकारी होंगे और ये नियम.

(2) अनुसूची 1 के कॉलम (2) में निर्दिष्ट एक अधिकारी, पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने के प्रयोजन के लिए,

उक्त अनुसूची के संबंधित प्रविष्टियों कॉलम -3 में निर्दिष्ट क्षेत्रों में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों द्वारा ऐसे मुद्दे के लिए किए गए आवेदनों के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें:

बशर्ते कि असाधारण और अत्यावश्यक मामलों में उक्त अधिकारी भारत में किसी अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति से पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए एक आवेदन पर विचार कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को अधिकतम अवधि के लिए पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी कर सकता है। बारह महीने और आवेदन को उस क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र रखने वाले पासपोर्ट प्राधिकारी को स्थानांतरित करें जहां ऐसा व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है:

बशर्ते कि पूर्ववर्ती प्रावधान के तहत पासपोर्ट के लिए आवेदन का ऐसा कोई हस्तांतरण नहीं किया जाएगा यदि आवेदक उस क्षेत्र से स्थानांतरित हो गया है जहां वह मूल रूप से निवासी था, पासपोर्ट जारी करने वाले पासपोर्ट प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के भीतर क्षेत्र में बसने के इरादे से पूर्ववर्ती प्रावधान के तहत"।

नोट के आगे उक्त नियमों की अनुसूची-I की प्रविष्टि 4(ए) है, जो इन शर्तों में है।

(13) "क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पंजाब राज्य (चंडीगढ़ को छोड़कर (क्षेत्रीय पास-जालंधर के जिले, बंदरगाह अधिकारी, चंडीगढ़) कपूरथला, होशियारपुर, अमृतसर और गुरदासपुर), और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़"

(4) नियमों की अनुसूची-I के नियम-3 और प्रविष्टि 4(ए) को पढ़ने से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं को पासपोर्ट जारी करने के मामले में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, चंडीगढ़ के पास विशेष क्षेत्राधिकार था। चूँकि वे चंडीगढ़ में 'सामान्यतः निवास' कर रहे थे।

(5) यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिनियम और नियमों के इतने स्पष्ट और स्पष्ट प्रावधान को नहीं समझा गया, बल्कि इसकी उपेक्षा की गई

याचिकाकर्ताओं के मामले को बरेली स्थानांतरित करने में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, चंडीगढ़। यह प्रतिकूल टिप्पणी को आमंत्रित तो नहीं कर सकता।

(6) तदनुसार, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, चंडीगढ़ को चंडीगढ़ में पासपोर्ट के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर कार्रवाई करने और उनसे निपटने का निर्देश दिया जाता है और पहले से ही हुई अत्यधिक देरी को ध्यान में रखते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि उन्हें एक पखवाड़े के भीतर पासपोर्ट जारी किए जाएं। आज से।

(7) तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है और जैसा कि बताया गया है, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, , हम उत्तरदाताओं पर लागत के रूप में 1,500 रुपये का जुर्माना भी लगाते हैं।

आरएनआर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसप्रीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हिसार, हरियाणा